

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक:प.7(316)/सी.एस.एस./आर.के.वी.वाई./कम्प्यूटर/2019-20/937-44 दिनांक: 04.09.2019

मै. किरण एन्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं. -67 A, शिव कॉलोनी-बी., टोंक रोड़,
सांगानेर, जयपुर

विषय:- मैनपावर विद मशीन (Manpower with machine) हेतु जारी की गई निविदा हेतु आषय-पत्र
(Letter of Intent) जारी करने के संबंध में।

उपरोक्तानुसार लेख है कि विभाग द्वारा मैनपावर विद मशीन की सेवाएँ लेने हेतु जारी निविदा सूचना क्रमांक 498 दिनांक 18.07.2019 व निविदा आइडी 2019_AGRIC_154563_1 के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली राशि रु. 9017/- (नियमानुसार देय जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रति माह प्रति मैनपावर विद मशीन न्यूनतम होने के कारण निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित की जाती है।

1. आप दिनांक 09.09.2019 तक राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध प्रस्तुत करते हुए राशि रु. 38,500/- (1%) की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी जो " आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान" के नाम हो तथा जयपुर में देय हो प्रस्तुत करें।
2. संविदा अनुबन्ध किए जाने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य है। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
3. अनुबन्ध व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के पश्चात् कार्यदेश जारी किया जाएगा।
4. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न:- अनुबन्ध प्रपत्र

(जे.एस. सन्धु)
संयुक्त निदेशक, कृषि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

क्रमांक:प.7(316)/सी.एस.एस./आर.के.वी.वाई./कम्प्यूटर/2019-20/937-44 दिनांक: 04.09.2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
5. उप निदेशक कृषि (प्रशासन) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
6. उप निदेशक कृषि (आरके.वी.वाई) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
7. ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा को SPP Portal एवं Eproc पर अपलोड करवाने बाबत।
8. विस्टाल टेक्नोलॉजी प्रा. लि. 60/112, रजत पथ मानसरोवर, जयपुर।

(जे.एस. सन्धु)
संयुक्त निदेशक कृषि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना